

प्रेस विज्ञप्ति

***जनपद-संतकबीरनगर ***

दिनांक 29.05.2025

थाना महुली पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए चोरी के 01 अदद मोटर साइकिल व 16,233/ रुपये नगद के साथ 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन, क्षेत्राधिकारी धनघटा ***श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय*** के पर्यवेक्षण में जनपद संतकबीरनगर में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान जनपद में चोरी जैसी घटनाओं के सफल अनावरण हेतु थानाध्यक्ष महुली ***श्री रजनीश राय*** के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा मु0अ0सं0 170/2025 धारा 303(2)/3(5)/317(2)/317(4)/112 बीएनएस में वांछित 02 अभियुक्त क्रमशः 01.अनूप सिंह उर्फ मंगल सिंह पुत्र रमेश सिंह निवासी गायघाट, 02.सूरज सिंह पुत्र जनार्दन सिंह निवासी पिपरा थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को चोरी के 01 अदद मोटरसाइकिल व 16,233/ रुपये नगद के साथ कठैचा मोड़ तिराहे से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय खाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण—

01.अनूप सिंह उर्फ मंगल सिंह पुत्र रमेश सिंह निवासी गायघाट थाना महुली जनपद संतकबीरनगर

02.सूरज सिंह पुत्र जनार्दन सिंह निवासी पिपरा थाना महुली जनपद संतकबीरनगर।

बरामदगी का विवरण — 01- अदद मोटरसाइकिल नम्बर UP58G0224

02- 16,233/ रुपये नगद।

विवरण- उक्त अभियुक्तगणों द्वारा दिनांक 27.05.2025 को दिन लगभग 15:00 बजे श्री राहुल पुत्र भगौती की दुकान से लगभग 75000 हजार रुपये चुराने के संबन्ध में वादी द्वारा थाना महुली पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। आज दिनांक 29.05.2025 को थाना महुली पुलिस द्वारा उक्त अभियुक्तगणों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय खाना किया गया।

आपराधिक इतिहास

अनूप सिंह उर्फ मंगल सिंह पुत्र रमेश सिंह निवासी गायघाट थाना महुली जनपद संतकबीरनगर।

01- मु0अ0सं0 76/2018 धारा 323/504/506 भा0द0वि0 व 3(1) द,ध एससी/एसटी एक्ट थाना महुली जनपद संतकबीरनगर।

02- मु0अ0सं0 239/2020 धारा 308/411/457 भा0द0वि0 थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर।

03 - मु0अ0सं0 10/2021 धारा 41/411/420/467/468/471 भा0द0वि0 थाना महुली जनपद संतकबीरनगर।

04 - मु0अ0सं0 48/2025 धारा 115(2)/351(3)/352 बीएनएस थाना महुली जनपद संतकबीरनगर।

05 - मु0अ0सं0 79/2025 धारा 115(2)/351(3)/352 बीएनएस व 3(1) द,ध/3(2)(va) एससी/एसटी एक्ट थाना महुली जनपद संतकबीरनगर।

06- मु0अ0सं0 183/2018 धारा 504/506 भा0द0वि0 थाना महुली जनपद संतकबीरनगर।

07- मु0अ0सं0 186/2018 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना महुली जनपद संतकबीरनगर।

08- मु0अ0सं0 225/2021 धारा 3(1) गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम थाना महुली जनपद संतकबीरनगर।

09- मु0अ0सं0 244/2020 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना महुली जनपद संतकबीरनगर।

10- मु0अ0सं0 245/2020 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना महुली जनपद संतकबीरनगर।

11- मु0अ0सं0 270/2020 धारा 41/411/413 भा0द0वि0 थाना महुली जनपद संतकबीरनगर।

12- मु0अ0सं0 322/2018 धारा 41/411/413/420/467/468/471 भा0द0वि0 थाना महुली जनपद संतकबीरनगर।

- 13- मु0अ0सं0 734/2016 धारा 34/392/411 भा0द0वि0 थाना महुली जनपद संतकबीरनगर ।
- 14- मु0अ0सं0 764/2016 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना महुली जनपद संतकबीरनगर ।
- 15- मु0अ0सं0 765/2016 धारा 406/420/467/468/471 भा0द0वि0 थाना महुली जनपद संतकबीरनगर ।
- 16- मु0अ0सं0 913/2016 धारा 3(1) गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम थाना महुली जनपद संतकबीरनगर ।

आपराधिक इतिहास

सूरज सिंह पुत्र जनार्दन सिंह निवासी पिपरा थाना महुली जनपद संतकबीरनगर ।

- 01- मु0अ0सं0 1258/2016 धारा 307/393 भा0द0वि0 थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर ।
- 02- मु0अ0सं0 959/2017 धारा 41/411/420/467/468/471 भा0द0वि0 थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर ।
- 03- मु0अ0सं0 10/2021 धारा 41/411/420/467/468/471 भा0द0वि0 थाना महुली जनपद संतकबीरनगर ।
- 04- मु0अ0सं0 11/2021 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना महुली जनपद संतकबीरनगर ।
- 05- मु0अ0सं0 12/2021 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना महुली जनपद संतकबीरनगर ।
- 06- मु0अ0सं0 225/2021 धारा 3(1) गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम थाना महुली जनपद संतकबीरनगर ।
- 07- मु0अ0सं0 322/2018 धारा 41/411/413/420/467/468/471 भा0द0वि0 थाना महुली जनपद संतकबीरनगर ।
- 08- मु0अ0सं0 734/2016 धारा 34/392/411 भा0द0वि0 थाना महुली जनपद संतकबीरनगर ।
- 09- मु0अ0सं0 762/2016 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना महुली जनपद संतकबीरनगर ।
- 10- मु0अ0सं0 765/2016 धारा 406/420/467/468/471 भा0द0वि0 थाना महुली जनपद संतकबीरनगर ।
- 11- मु0अ0सं0 913/2016 धारा 3(1) गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम थाना महुली जनपद संतकबीरनगर ।
- 12- मु0अ0सं0 453/2020 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर ।
- 13- मु0अ0सं0 921/2017 धारा 379/411 भा0द0वि0 थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर ।
- 14- मु0अ0सं0 1542/2017 धारा 3(1) गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर ।
- 15- मु0अ0सं0 84/2020 धारा 188/269 भा0द0वि0 व 51 आपदा प्रबंधन अधिनियम थाना महुली जनपद संतकबीरनगर ।
- *गिरफ्तारी टीम-*** उ0नि श्री रामपाल तिवारी, उ0नि0 श्री विरेन्द्र मिश्रा, उ0नि0 श्री सत्येन्द्र यादव का0 अमरीजीत यादव, का0 सूर्यनरायण गुप्ता, का0 अरविन्द यादव ।

दबिश के दौरान 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में *थाना महुली पुलिस द्वारा* वारण्टी नाम पता आनन्द देव पाठक पुत्र कैलाश नाथ निवासी खिरिया थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- उ0नि0 श्री देवेन्द्र तिवारी, का0 विकास गोंडा

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 14 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना महुली पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 05 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना बखिरा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 07 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 87 वाहनों से 1,02,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 29.05.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 87 वाहनों से 1,02,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, अपहृता बरामद

जनपद में मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल *श्री सर्व दवन सिंह* के निकट पर्यवेक्षण में थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 206/2024 धारा 137(2), 87,64(1) बीएनएस व 5/6 पाक्सो एक्ट थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर के मामले में वांछित अभियुक्त नाम पता रविकुमार उर्फ संकेत पुत्र हरिबाबू निवासी मधीनाथ नया शिव मन्दिर सिठौरा सराय तल्फी थाना सुभाषनगर जनपद बरेली को आज दिनांक 29.05.2025 को सांथा तिराहे से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त द्वारा वादिनी की नाबालिग पुत्री को दिनांक 28.03.2025 को बहला फुसलाकर भगा ले गया था, जिसके सम्बन्ध में वादिनी द्वारा थाना मेंहदावल पर प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में सुसंगत धाराओं की बढोत्तरी कर महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 29.05.2025 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- उ0नि0 श्री रामाश्रय प्रसाद, का0 अनुराग सिंह, म0का0 माया कुमारी।

“ऑपरेशन कनविकशन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आयुध अधिनियम के मामले में अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 1000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल के संयुक्त प्रयास के फलस्वरूप आज दिनांक 29.05.2025 को न्यायालय – **सीजे(जेडी)/एफटीसी/एसीजेएम संतकबीरनगर** द्वारा थाना मेंहदावल पर पंजीकृत मु0अ0सं0 252/2020 धारा 4/25 आयुध अधिनियम के मामलें में अभियुक्त गोलू मद्धेशिया पुत्र स्व0 ओमप्रकाश निवासी हर्दीहड़ा थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को जुर्म स्विकारोक्ति के आधार पर धारा 4/25 आर्म्स एक्ट में जेल में बितायी गई अवधि व 1000 रुपये के जुर्माने से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह का कारावास भुगतना होगा।

“ऑपरेशन कनविकशन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अबकारी अधिनियम के मामले में अभियुक्ता को जेल में बितायी गयी अवधि व 2000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल के संयुक्त प्रयास के फलस्वरूप आज दिनांक 29.05.2025 को न्यायालय – **सीजे(एसडी)/एफटीसी/एसीजेएम संतकबीरनगर** द्वारा थाना मेंहदावल पर पंजीकृत मु0अ0सं0 169/202018 धारा 4/25 60 अबकारी अधिनियम के मामलें में अभियुक्ता रम्भा पत्नी शम्भू निवासी धौरापार थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को जुर्म स्विकारोक्ति के आधार पर धारा 60 अबकारी अधिनियम के मामल में जेल में बितायी गई अवधि व 2000 रुपये के जुर्माने से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह का साधारण कारावास भुगतना होगा।